(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना संख्या 33 / 2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 2 दिसम्बर, 2019

विषयः आईटीसी (एचएस) 2017–अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 95 की नीतिगत शर्त सं० 2 (iii) में संशोधन।

सा० आ० (अ): समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आईटीसी(एचएस) 2017–अनुसूची–1 (आयात नीति) के अध्याय 95 की नीतिगत शर्त सं. 2 (iii) में निम्नानुसार संशोधन करती हैः–

मौजूदा नीतिगत शर्त सं० 2 (iii)	**संशोधित नीतिगत शर्त सं० 2 (iii)**
विनिर्माता से प्राप्त अनुकूलता प्रमाण पत्र कि खिलौनों के द्योतक नमूने जो आयात किए जा रहे हैं, उनकी एक स्वतंत्र प्रयोगशाला द्वारा जाँच की गई है जो एनएबीएल, भारत द्वारा मान्यता प्राप्त है तथा ऊपर दर्शाए गए विनिर्देशनों को पूरा करते हैं। अनूकूलता प्रमाण पत्र में दर्शाए गए विनिर्माण की अवधि के साथ खेप में खिलौनों को भी प्रमाण पत्र लिंक करेगा।	*नमूने को यादृच्छिक रुप से प्रत्येक खेप से चुना जाएगा और परीक्षण हेतु एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भेजा जाएगा और इसे सीमाशुल्क विभाग द्वारा इस शर्त पर मंजूरी दी जा सकती है कि नमूने के सफल परीक्षण तक उत्पाद को बाजार में बेचा नहीं जा सकता है। इसके अलावा, यदि लिया गया नमूना आवश्यक मानक को पूरा करने में असफल होता है तो खेप को वापस भेजा जाएगा अथवा आयातक के खर्चे पर इसे नष्ट कर दिया जाएगा।*

2. आईटीसी (एचएस), 2017 की आयात नीति के संबंध में सामान्य टिप्पणी के खण्ड 2 **(भारतीय गुणवत्ता मानक)** में नया पैरा (बडे अक्षरों में–घ) निम्नानुसार जोडा जाता हैः

*2. **(घ) खिलौनों / गुड़िया आदि हेतु आयात नीतिः** किसी भी अध्याय के तहत खिलौने / गुड़िया और इसी तरह के अन्य मनोरंजन के सामान हेतु आयात नीति, अध्याय 95 की नीतिगत शर्त संख्या 2 में यथा विनिर्दिष्ट बीआईएस मानकों द्वारा अभिशासित होगी।*

3. **इस अधिसूचना का प्रभावः**– आईटीसी (एचएस), 2017–अनुसूची 1 (आयात नीति) के अध्याय 95 की नीतिगत शर्त सं० 2 (iii) को संशोधित किया गया है और आईटीसी (एचएस) 2017 की आयात नीति के संबंध में सामान्य टिप्पणी के खण्ड 2 **(भारतीय गुणवत्ता मानक)** मे नया पैरा जोडा जाता है।

अमित यादव
(अमित यादव)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा0 सं0 01 / 89 / 180 / 53 / एएम–01 / पीसी–2(क) / खंड–III से जारी)

टिप्पणीः दिनांक 17 जनवरी, 2017 की प्रधान अधिसूचना संख्या 36 / 2015–2020 को दिनांक 17 जनवरी, 2017 की संख्या सा.आ. 172 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 1 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. 26 / 2015–2020 द्वारा संशोधित करके दिनांक 1 सितम्बर, 2017 के सा. आ. 2890 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।